2022/239

फर्द अहकाम

माफी मंदिर श्री सीताराम जी बनाम सत्यनारायण

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 150/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.08.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा ने मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के वकील को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अंतरिम पर सुना गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया तो हम पाते है कि वकील प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 16.09.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	
	6/9/22	पत्रावली मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलब पर ली गयी। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण की पहिचान वकील श्री किशोर शर्मा ने की है। प्रार्थी का मूल वाद में प्रार्थना पत्र वाद विड्रा होकर [illegible] दावा खारिज हो जाने से इस प्रार्थना [illegible] पत्र 79 को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] पत्र बाद दीगर होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नकल से काम होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Scanned with OKEN Scanner